तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 208/2024 बअनवान मोहनी देवी बनाम पोकरराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

आदेश

दिनांक 19.12.2024

उपस्थिति

1. श्री रोशनलाल अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सत्यनारायण राजपुरोहित, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या दो

अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर लूणी द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 78/2024 बअनवान मोहनी देवी बनाम पोकरराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 03 सितंबर 2024 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 06 सितंबर 2024 को प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। तत्पश्चात विद्वान अधिवक्तागण उभय पक्ष की अपील पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलार्थीनी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्व दस्तावेजो से यह साबित कर दिया था कि वादग्रस्त आराजीखसरा नं. 27 रकबा 11.04 बीघा, खसरा नं. 653/1 रकबा 13.07 बीघा, खसरा नं. 669/4 रकबा 19.15 बीघा, खसरा नं. 212 रकबा 10 बीघा, खसरा नं. 669/1 रकबा 2 बीघा, खसरा नं. 669/2 रकबा 24.04 बीघा, खसरा नं. 669/3 रकबा 13.07 बीघा, खसरा नं. 669/5 रकबा 19.13 बीघा, खसरा नं. 670 रकबा 6 बिस्वा ग्राम गुढा विश्नोईयान् अपीलार्थीनी की खातेदारी की भूमि है तथा सभी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 208/2024 बअनवान मोहनी देवी बनाम पोकरराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सहखातेदारान् का विवादित भूमि के प्रत्येक इंच भू-भाग पर कब्जा है। विवादित भूमि में अपीलार्थी का हिस्सा जिस दस्तावेज के आधार पर हटाया गया है, वह दस्तावेज अपीलार्थीनी द्वारा निष्पादित ही नहीं किया गया है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला अपीलार्थीनी के पक्ष में है। अपीलार्थीनी द्वारा घोषणा का वाद प्रस्तुत कर रखा है तथा अपीलार्थीनी का नाम राजस्व रेकर्ड में पूर्व में दर्ज था तथा जो दस्तावेज अपीलार्थीनी द्वारा निष्पादित नहीं किया गया है, उस दस्तावेज के आधार पर राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से अपीलार्थीनी का नाम हटाया नहीं जा सकता है। मौके पर कब्जा काश्त अपीलार्थीनी का है। इसलिए सुविधा का तुलनात्मक संतुलन भी अपीलार्थीनी के पक्ष में है। प्रत्यर्थीगण विशेष भू-भाग पर कब्जा कर लेते है तथा अपीलार्थीनी के हिस्से की भूमि का बेचान/हस्तांतरण कर देते है तो अपीलार्थीनी को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी फरपायी किया जाना नामुमकिन होगा। अपीलार्थीनी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्धारक तीनों बिंदुओं को विचारण न्यायालय के समक्ष साबित किये जाने के बावजूद भी विचारण न्यायालय द्वारा अंतरिम स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03 सितंबर 2024 को अपास्त किया जावे एवं विचारण न्यायालय में लंबित मूल वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी के मौके एव राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति का आदेश फरमावे तथा वादग्रस्त आराजी का बेचान/हस्तांतरण नहीं किये जाने हेतु रेस्पोडेंट्स को पाबंद फरमावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने अपीलार्थीनी द्वारा हकतर्कनामा दिनांक 14.02.2013 के जरिये

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपने खातेदारी अधिकारों का रेस्पोडेंट संख्या एक के पक्ष में अंतरण कर दिया है। ऐसी स्थिति में वर्तमान में वादग्रस्त आराजी के अपीलार्थीनी का कोई हक व अधिकार नहीं है। अपीलार्थीनी वादग्रस्त आराजी की खातेदार नहीं होने से विचारण न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित नहीं किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जो पोषणीय नहीं है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

जवाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलार्थीनी द्वारा वादग्रस्त खसरा नं. 27 रकबा 11.04 बीघा, खसरा नं. 653/1 रकबा 13.07 बीघा, खसरा नं. 669/4 रकबा 19.15 बीघा, खसरा नं. 212 रकबा 10 बीघा, खसरा नं. 669/1 रकबा 2 बीघा, खसरा नं. 669/2 रकबा 24.04 बीघा, खसरा नं. 669/3 रकबा 13.07 बीघा, खरा नं. 669/5 रकबा 19.13 बीघा, खसरा नं. 670 रकबा 6 बिस्वा ग्राम गुढा विश्नोईयान् के संबंध में खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है जो वर्तमान में विचारण न्यायालय में विचाराधीन है। अपीलार्थीनी का कथन है कि उसके द्वारा कोई हकर्तनामा का दस्तावेज निष्पादित नहीं किया गया है। अपीलार्थीनी के खातेदारी अधिकारों का निर्धारण विचारण न्यायालय में विचाराधीन मूल वाद में जरिये साक्ष्य तय होना है। वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त वादग्रस्त आराजी को संरक्षित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होते है। इन परिस्थितियों में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 208/2024 बअनवान मोहनी देवी बनाम पोकरराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश से अदालत हाजा सहमत नहीं होने से अपीलाधीन आदेश यथावत रखने योग्य नहीं ठहरता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध है। मामला अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति मामला अंतिम निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित रहेगा।

लिहाजा उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03 सितंबर 2024 को निरस्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दो माह की अवधि में विधिसम्मत निस्तारण करे। तब तक उभय पक्ष वादग्रस्त आराजीयात के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा वादग्रस्त आराजी का बेचान नहीं करे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर